संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./अ.प्र./13/715 भोपाल, दिनांक 13/06/13

प्रति,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
2.समस्त सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.

विषयः–महिलाओं के प्रति बढ़ते हिंसा प्रकरणों मे मेडिकोलीगल जांच।

महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा के दृष्टिगत अत्यंत आवश्यक है कि इन प्रकरणों में सही ढंग से मेडिकोलीगल परीक्षण किया जाकर स्पष्ट मत सहित रिर्पोट शीघ्र–अतिशीघ्र दी जाये, ताकि आरोपी के विरूद्व कार्यवाही की जा सके। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश द्वारा भी निर्देश दिये गये हैं कि इन प्रकरणों की जाँच में विलंब न किया जाये एवं स्पष्ट अभिमत के साथ ही रिपोर्ट दी जाये। महिलाओं में बलात्कार एवं हिंसा के मेडिकोलीगल केस (एम.एल.सी.) की जांच के दौरान निम्न बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये।

- इन प्रकरणों में चिकित्सक की अहम् भूमिका होती है, क्योकि पीड़ित महिला को शारीरिक आघात (Physical Trauma) के साथ मानसिक पीड़ा बहुत अधिक होती है। सामाजिक वातावरण से भी उसमें हीनभावना आ जाती है।
- चिकित्सकों का व्यवहार पीड़ित महिला के प्रति संवेदनशील, शालीन, मृदुभाषी व सम्मानजनक रहे।
- जाँच से पूर्व महिला को जांच बाबत् सरल शब्दों में समझाया जाये।
- महिला से अभद्र अनावश्यक प्रश्न/टिप्पणी नहीं किये जायें एवं महिला द्वारा ही प्रकरण से सम्बधित जानकारी ली जाय।
- यदि महिला को कोई मेडिकल इमरजेन्सी (Medical Emergency) है तो सर्वप्रथम उसके लिये उपचार दिया जाये।
- यदि पीड़ित लड़की किशोरावस्था में है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्शुअल ऑफेन्सेस एक्ट 2012 के सेक्शन 27 के अनुसार उसकी जांच की जाये। जांच उसके अभिभावक अथवा अन्य व्यक्ति जिस पर उसका विश्वास हो, की उपस्थिति में की जाये। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो संस्था प्रभारी द्वारा नामांकित महिला की उपस्थिति में की जाये।
- इन महिलाओं की जांच करने मे अनावश्यक विलंब ना किया जाये। जांच प्रथमिकता के आधार पर की जाय। जांच कर रिपोर्ट तत्काल पुलिस को दे दी जाये। किसी भी स्थिति में 24 घंटे से अधिक विलंब न हो।
- बलात्कार के प्रकरण में शुक्राणु (Sperms)की स्थिति एवं गतिशीलता जानने हेतु महिला की शीघ्र जांच करना आवश्यक है।
- महिला की जाँच महिला चिकित्राक से ही कराई जाये। यदि यह संभव न हो तो महिला नर्स/ Attendant की उपस्थिति में ही जाँच की जाये। यदि महिला, पुरूष चिकित्सक से परीक्षण हेतु सहमति नही देती हैं तो ऐसी स्थिति में पुरूष

चिकित्सक द्वारा परीक्षण नही किया जावे एवं महिला चिकित्सक द्वारा ही परीक्षण की व्यवस्था की जाये।

- 12 वर्ष से अधिक उम्र की महिला की जाँच हेतु उसकी लिखित सहमति गवाह की उपस्थिति में ली जाये।12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं में अभिभावकों की लिखित सहमति ली जाये।
- एम.एल.सी. रजिस्टर में क्रम संख्या दी जाये। कार्बन पेपर लगाकर एम.एल.सी. की रिपोर्ट डुप्लिकेट प्रतियों में दर्ज की जाये।
- महिला जिसके द्वारा लाई गई हो उसका नाम, पता लिखें व हस्ताक्षर/अगूठा निशान लिये जाये।
- परीक्षण का समय तिथि/माह/वर्ष, उसका नाम, पिता/पति का नाम, पूर्ण पता, उम्र, पहचान चिन्ह लिखें।
- परीक्षण महिला अटेन्डेन्ट/महिला नर्स की उपस्थिति में किया जाये।
- परीक्षण के समय वहाँ पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- महिला द्वारा बताई गई हिंसा की घटना का विवरण उसी के शब्दों में लिखें।
- महिला का सामान्य, मासिक धर्म (Menstrual) प्रसूति विषय (Obstetrics) आदि का इतिहास दर्ज किया जाये।
- यदि वह उन्ही कपड़ों में है जिसे वह हिंसा के दौरान पहनी थी तो उसमें पाये गये दाग, अन्य साक्ष्य वाले कपड़ों को पेपर में सील कर पुलिस को केमिकल विश्लेषण हेतु सौंपें जायें।
- महिला को कपड़े स्वयं बदलने के लिये कहा जाये ना कि किसी अस्पताल के स्टॉफ द्वारा यह कार्य दुर्वव्यवहार से दबाव डालकर किया जाये। बलात्कार के प्रकरणों में आवश्यकतानुसार महिला के कपडे सुरक्षित रखें एवं शीघ्र जाँच के लिये भेजे जायें।
- शरीर पर हिंसा में चोट के चिन्ह नोट कर विवरण लिखें।
- महिला की सामान्य सिस्टमिक एवं जननाँगों की जाँच की जाये।
- कम आयु की बालिकाओं में कभी–कभी जाँच करने हेतु बेहोश करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
- वजायनल स्वाब (Vaginal Swab) लेकर स्लाईड बनाकर सील करें।
- आवश्यकतानुसार अन्य जाँचें प्युबिक हेयर (Pubic Hair), सेमिनल स्टेन्स (Seminal Stains) के स्क्रेपिंग्स (Scrapings) भी परीक्षण हेतु सुरक्षित रखे एवं जॉच हेतु भेजें। उक्त सामग्री अनावश्यक रूप से स्टोर न करें।
- समस्त सील की हुई साक्ष्य सामग्री पर उसका प्रकार, पीड़िता का नाम, एम.एल. सी. क्रमांक, समय व तिथि, चिकित्सक अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करें।
- आवश्यकतानुसार ओ.पी.डी. पर्ची पर एम.एल.सी. नंबर भी दर्ज कर उपचार लिखा जाये।
- आवश्यकतानुसार जांच (Pregnancy Test, Gonorrhoea, VDRL, HIV, AIDS), फॉलो–अप हेतु बुलायें व उपचार करें। आवश्यकतानुसार पीडिता की सहमति से इमरजेन्सी गर्भनिरोधक गोलियाँ दी जायें।

- एम.एल.सी. रिकॉर्ड एंव रिर्पोट सुवाच्य पठनीय लिपि में यथा संभव मुद्रित, स्पष्ट अभिमत सहित लिखा जाये। चिकित्सक हस्ताक्षर कर अपना नाम, पदनाम, केपीटल अक्षर में लिखकर सील लगायें।
- रिपोर्ट में काटा–पीटी (Overwriting), ना की जाये। रिपोर्ट में कहीं अतिरिक्त जानकारी दर्ज की गई हो, अथवा सुधार किया गया हो तो वहाँ हस्ताक्षर कर तिथि लिखें।
- चिकित्सक इस बात का ध्यान रखें कि यौन हिंसा, बलात्कार की शिकार महिला अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना सहती है, अतः पीड़ित महिला को सांत्वना दें व काउंसलिंग करें। आवश्यक हो तो चिकित्सालय में भर्ती करें।
- चिकित्सालय में पीडित महिला के परीक्षण के समय किसी भी प्रकार से सम्बधित अपराधी(बलात्कारी) का पीडित महिला से सामना न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
- एम.एल.सी रिपोर्ट में चिकित्सक हस्ताक्षर कर अपना नाम, पदनाम सील सहित एवं मोबाईल नं. अवश्य लिखें। जहॉ उम्र के संबंध में शंका या विरोधाभास हो वहॉ उसकी उम्र निर्धारण करने हेतु सभी आवश्यक जानकारी लिपी बद्ध करते हुए एक्सरे एवं दॉतो का परीक्षण कर आयु निर्धारित करें। बालिकाओं व महिलाओं की आयु का निर्धारण करते समय पूरी सावधानी बरती जाये व यह सुनिश्चित करें कि महिला/बालिकाओं व अन्य प्रकरणों में किसी भी स्थिति में गलत रिपोर्टिंग न हो।
- महिला उत्पीडन एवं यौन अपराधो से सम्बधित पीडिता की सुविधा पूर्वक जॉच कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन या सम्बधित चिकित्सालय के प्रभारी की होगी।
- समस्त चिकित्सकों को परिपत्र सरक्यूलेट किया जाये।

(डॉ.के.के.ठस्सू)
(अस्प.प्रशा.)
भोपाल, दिनांक

क्रमांक–3/अ.प्र./2013/

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश भोपाल।
2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
4) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5) संचालक मेडिको लीगल संस्थान, म.प्र. भोपाल।
6) समस्त अपर/क्षेत्रीय संयुक्त संचालक,म.प्र.।
7) समस्त ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ,मध्य प्रदेश।

संचालक
(अस्प.प्रशा.)
भोपाल,मध्यप्रदेश